

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एल 1-10/2016/ब-7/डी.एम.सी/चार
प्रति, विशेष कार्यादेश
आयुक्त
कोष एवं लेखा
पर्यावास भवन
म.प्र. भोपाल
फैक्स - 0755-2676030


भोपाल, दिनांक 10/03/2016

विषय :- राज्य शासन के कोष से देयक/ चेक्स के आहरण के संबंध में।
संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एल 1-10/750/2014/ब-7/डी.एम.सी/चार दिनांक
24.09.2014

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्र की कंडिका क्रमांक 2 को संशोधित कर राशि की सीमा (WDDF/FDDF सहित) रु.1.00 करोड़ (एक करोड़) निर्धारित की जाती है।

2/- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2016 तक लागू होंगे।

मध्य प्रदेश के राज्य पाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(नवनीत मोहन कोठारी)
संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 10/03/2016

पृ. क्रमांक एल 1-10/2016/ब-7/डी.एम.सी/चार
प्रतिलिपि:-

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचाल, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
4. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

उपरोक्त